

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(38)न्याय/15

जयपुर, दिनांक 24-05-2017


उपायुक्त (प्रशासन),
वाणिज्यिक कर विभाग,
कोटा।

विषय:- श्री रिपेन्द्र चौबे, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा को कार्यमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री रिपेन्द्र चौबे, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा के आवेदन पत्र दिनांक 19.05.2017 व 21.05.2017 के क्रम में श्री रिपेन्द्र चौबे को दिनांक 22.05.2017 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त किया जावे।

श्री रिपेन्द्र चौबे का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है तथा इन्हें स्थायी भी नहीं किया गया है। अतः राजस्थान सेवा नियमों के नियम 15 के अनुसार श्री रिपेन्द्र चौबे का लियन इस विभाग में नहीं रखा जाएगा।

भवदीय

24.05.17
(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि श्री रिपेन्द्र चौबे, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 19.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव